जनपद-संतकबीरनगर

प्रेस नोट

दिनाँक 04.10.2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामले में 02 अभियुक्तों को 06-06 माह के सदाचरण कायम रखने हेतु दण्डित किया गया

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 03.10.2025 को मा0 न्यायालय– जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 02 अभियुक्तों को 06-06 माह के सदाचरण कायम रखने दण्डित किया गया।

विवरणः-

दिनाँक-10.10.2005 को आवेदक श्री अमृतलाल पुत्र झिन्नन द्वारा थाना धनघटा पर अभियुक्तगण 01- सबरु सिंह पुत्र रतन सिंह, 02- नेमा देवी पत्नी सबरु सिंह निवासीगण चपरापूर्वी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-532/2005 धारा-323/325/504/506(2) भदवि में पंजीकृत कराया गया था, उ0नि0 श्री आर0 के0 यादव द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया |

आदेश:-

मु0अ0सं0 532/2005 के मामले में अभियुक्तगण उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 323/325/504/506(2) भादवि में दोषसिद्ध किया गया। प्रत्येक अभियुक्तागण को 06-06 माह के अवधि के लिए सदाचरण कायम रखने हेतु दण्डित किया गया।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 260 वाहनों से 248,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 04.10.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 126 वाहनों से 248,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 866/2025 धारा 137(2),352,131, 87,64(2)(m) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता राहुल पुत्र बालकेश निवासी उमिला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 04.10.2025 को बुधा खुर्द कठिनाइया नदी के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध दिनाँक 23.09.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी कर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 04.10.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री राम वशिष्ठ, का0 जय किशन, का निलेश यादव।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप चोरी के मामलें मे 02 अभियुक्तो को जेल में बितायी गया अवधि व कुल 8000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 04.10.2025 को मा0न्यायालय सी0जे0 (एस0डी0) /ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा चोरी के मामले में 02 अभियुक्तो को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 8000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित।

विवरणः-

दिनांक 03.02.2004 को वादी श्री रामदरश पुत्र भागीरथी द्वारा थाना बखिरा पर चोरी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 46/2004 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत कराया गया। विवेचना उ0नि0 श्री चिन्तामणि सिंह की गयी। उक्त मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त 01.रामकरन पाण्डेय, 02.रामकेवल पाण्डेय पुत्रगण राम प्रसन्न निवासीगण कुशमौल थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर को धारा 379/411 भादवि0 के अपराध के लिए जेल में बितायी गयी अवधि व 4000-4000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया जुर्माना अदा न करने पर अभि0 को 15 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामले में अभियुक्त को 01 वर्ष की परिवीक्षा व 25000 रु0 के निजी बन्ध पत्र से दण्डित किया गया

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 04.10.2025 को मा0 न्यायालय–सी0जे0(एस0डी0)ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को 01 वर्ष के सदाचरण कायम रखने हेतु किया गया दण्डित।

विवरणः-

दिनाँक- 21.05.2003 को वादिनी द्वारा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर पर अभियुक्त नाम पता घनश्याम पुत्र हंसु निवासी बेलहरकला थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-156/2003 धारा-323/324/325/504/506 भदवि पंजीकृत कराया गया था। उ0नि0 श्री रामअशीष यादव द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया|

आदेश:-

मु0अ0सं0 156/2003 के मामले में अभियुक्त उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 323/324/325/504/506 भादवि में दोषसिद्ध किया गया। अभियुक्त घनश्याम को मु0अ0सं0-156/2003 धारा-323/324/325/504/506 भादवि के लिए 01 साल की अवधि के लिए सदाचरण कायम रखने के लिए मु0-25000/-रुपये के निजी बंध-पत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू जिला परिवीक्षा अधिकारी संतकबीरनगर के समक्ष निर्णय की तिथि से सात दिवस के अन्दर निस्पादित करने हेतु आदेशित किया गया।